

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मंडल सहायक कमिश्नर टोल्डभीम जिला मंगलपुर सिटी

सबू दिनांक - २०.०८.२०२४

जिलाधीन अधिकारी - पूजा शीवा (आर.ए.ए.)

सूचना

१. रामरतन पुत्र रामचरण
२. महेन्द्र पुत्र रामचरण
३. महेन्द्र पुत्र रामचरण
४. सुन्दरी पुत्री रामचरण
५. दौलती पुत्र दौली
६. रामकिशोर पुत्र दौली
७. दल्लो पुत्री दौली
८. रामसहाय पुत्र सुखराम
९. सुन्दरी पुत्री सुखराम

समस्त जातिधाम जाटव भिवरसीखान भोलनपुर तहसील बालघाट जिला मंगलपुर सिटी।

वादीगण

हस्ताक्षर

१. तहसीलदार टोल्डभीम जिला मंगलपुर सिटी।
२. तहसीलदार बालघाट जिला मंगलपुर सिटी।

परिचयदीपक

दादा बाबत हाराकाराहक इन्दाव इन्दावती

संस्थिति - श्री सुरेश चन्द शर्मा राबलकोट बादी

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोल्डभीम

निर्णय

दिनांक - २४.०८.२०२४

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का रक्षीय में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भोलनपुर की पत्ती खण्ड १२७/०३४, १२८/००९, १९/००१, १९३/१२९/००८, १९४/१२१०/००९, ५/०२९, १९६/०४०, १९/०४२, २०/०४३, २१/१२०७/००९, ४५१/०२८, ४६९/११२०/०, ४६९/११२१/००१ कुल जिला १३ कुल रकबा २.४४ हे० के सांखिक खण्ड १७, १९९, ७९, ३, १९४, ८ से बने है। जो पूर्व में वादीगण के सुवर्ण सुन्दर पुत्र जैता नगार के नाम से तहसील दख्त थी जो जमाबन्दी सम्वत २०२२-२३ में भली भांती अंकित है सुन्दर पुत्र जैता नगर के कौत होने पर उनकी विरासत नामांतरकरण न० १२३ दिनांक २४.०८.१९७१ दौली खराम पि० सुन्दर अंकित कर दिया जो सही अंकित किया है। जो जमाबन्दी सम्वत २६-२९ में भली प्रकार अंकित है।

आगामी जमाबन्दी बनाने समय वादीगण १ ता ७ के पिता व दादा दौली के पिता का नाम सुन्दर के स्थान पर सुखराम कर दिया तथा वादी न० ८ व ९ पिता सुखराम के स्थान पर सुन्दर अंकित कर पिता का नाम सुखराम कर दिया जबकि दौल व सुखराम दोनों भाई थे था उनके पिता का नाम सुन्दर था जो पूर्व में सही था लेकिन आगामी जमाबन्दी सम्वत



(पूजा शीवा)



राम का नाम हजफ फरमाकर सुन्दर अंकित किया जावे तथा सुन्दर पुत्र सुखराम हजफ  
कर सुखराम पुत्र सुन्दर किया जावे।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया पत्रावली में शामिल  
। ग्राम मोहनपुर की आराजी ख0न0 127/0.34, 128/0.09, 18/0.01, 183/1209/0.06,  
/1210/0.05, 185/0.29, 186/0.40, 19/0.42, 20/0.43, 21/1207/0.05, 451/0.  
468/1120/0.03, 469/1121/0.01 कुल किता 13 कुल रकवा 2.44 है0 में दौजी पुत्र  
ग्राम हिस्सा 1/2, सुन्दर पुत्र सुखराम हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल  
वत 2043-62 में हाल ख0न0 127/0.34, 128/0.09, 18/0.01, 183/1209/0.06,  
/1210/0.05, 185/0.29, 186/0.40, 19/0.42, 20/0.43, 21/1207/0.05, 451/0.  
468/1120/0.03, 469/1121/0.01 साबिक ख0न0 8, 79, 67, 194, 202 से बने है।  
गबन्दी सम्वत 2026-29 के खाता न0 99 के अंतिम कालम में नामांतरण न0 123 दिनांक  
03.1971 अनुसार सुन्दर के बजाय दौजी, सुखराम पि0 सुन्दर के नोट का अंकन है।  
गबन्दी सम्वत 2038-41 अनुसार साबिक खसरा नम्बरान में दौजी, सुन्दर पि0 सुखराम  
ति चमार निवासी ग्राम खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम  
हनपुर की जामबन्दी सम्वत 2038-41 बनाते समय जमाबन्दी सम्वत 2026-29 के खाता न0  
। अनुसार नहीं बनाई गई है। अतः वादीगण का दावा बावत घोषणा खातेदारी व इन्द्राज  
रुस्ती स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

#### आदेश

अतः तहसीलदार टोडाभीम को आदेश दिये जाते है, कि ग्राम मोहनपुर  
में आराजी ख0न0 127/0.34, 128/0.09, 18/0.01, 183/1209/0.06, 184/1210/0.  
5, 185/0.29, 186/0.40, 19/0.42, 20/0.43, 21/1207/0.05, 451/0.26,  
38/1120/0.03, 469/1121/0.01 कुल किता 13 कुल रकवा 2.44 है0 में दौजी पुत्र  
सुखराम के स्थान पर दौजी पुत्र सुन्दर तथा , सुन्दर पुत्र सुखराम के स्थान पर सुखराम पुत्र  
सुन्दर दर्ज किया जावे। जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार  
टोडाभीम को तहरीर के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर  
मुनाया गया।



*Pis*  
(प्रूजा मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
टोडाभीम, जिला गंगपुर, सिटी